न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 30/2020 किशोर चौहान बनाम सुरजकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-6-2021	प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त सारांश इस प्रकार है प्रार्थी की खातेदारी भूमि गांव सालावास तहसील लूणी के खसरा न. 248/3 रकवा 4 वीघा 10 विस्वा किस्म वारानी तृतीय भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थी शांति पूर्वक कव्जा काश्त उपयोग–उपभोग कर रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा जवरन प्रार्थी की भूमि खसरा नंवर 428/3 की पश्चिमी सीमा पर अतिक्रमण कर उसके एक भाग पर दिवार वनाकर कव्जा करने पर उतारू है। जिससे प्रार्थी को अपार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों के कारण माननीय न्यायालय में अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह वाद वावत स्थाई निपेधाज्ञा प्राप्त करने का पेश किया गया। प्रथम दृश्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व दावे के निर्णय प्रयन्त अस्थाई निशेधाज्ञा जारी की जाना जरूरी है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि गांव सालावास तहसील लूणी के खसरा न. 248/3 रकवा 4 वीघा 10 विस्वा भूमि से अप्रार्थीगण द्वारा वेदखल नहीं किया जावे तथा प्रार्थी की जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करने/कराने, दखलांदाजी एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का प्रार्थना पत्र का पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ओर प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय वहस सुनी जाकर दिनांक 20.07.2020 को अन्तरिम स्थगन आदेश दिया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिली हेतु भेजे जाकर तलव किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह ने वकालतनामा एवं जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण अपने जवाव में कथन कि प्रार्थी कानूनन खसरा संख्या 248/3 का खातेदार हो ही नहीं सकता मूल खसरा सख्या 248 का खातेदार रामचन्द्र पिता दानजी मेगवाल थे, जिन्होंने वेचान के जरिये उक्त भूमि क्रमश प्रेमाराम मेगवाल, रमेश मेगवाल, भोमाराम मेगवाल, किसनी देवी, व चिमनाराम संरगरा को अन्तरित की, अगर उपरोक्त में से प्रार्थी ने किसी से भी कृपि भूमि खरीद की है तो प्रार्थी का दस्तावेज विधि के तहत शून्य है क्योंकि प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग से नहीं है। प्रार्थी ने विना पैमाइश करवाये मनमर्जी से तरमीम दर्ज करवाई है जो पूर्णतया गलत है। प्रार्थी की भूमि के चिपते हुए प्रतिवादी की भूमि खसरा संख्या 248/1 स्थित है जो औधोगिक प्रयोजनार्थ रूपांतरित है। अप्रार्थी के नाम जो भूमि दर्ज है। अप्रार्थीगण ने अपनी पट्टाशुदा भूमि पर निर्माण करवाया है, जो चारदिवारी पहले से वनी हुई है। वादग्रस्त भूमि औधोगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है इसीलिए राजस्व न्यायालय को औधोगिक भूमि के संवंध में वाद	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

विचारण का अधिकारी प्राप्त नहीं होने से किसी प्रकार की डिकी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अप्रार्थीगण ने हदूद के बाहर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवाया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृश्टया ही साबित नही है और ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षो की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने राजस्व रेकर्ड में वर्णित हिस्से पर काबिज एवं उपयोग–उपभोग कर रहे है। अप्रार्थीगण ने अपनी पट्टाशुदा भूमि पर पहले से ही चारदिवारी का निर्माण करवाया हुआ है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के भूमि के बीच में सीमाओ का कोई विवाद नहीं है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अस्थाई निशेधाज्ञा के आवश्यक बिन्दु प्रथम दृश्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपुर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में खारीज योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफत्र हो।

निर्णय आज दिनांक 02-6-2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
डाबी